भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3316

07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष औषधि का विनिर्माण

3316. श्री नवीन जिंदल:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान आयुष औषधि निर्माताओं द्वारा जारी किए गए झूठे, भ्रामक या निराधार विज्ञापनों के संबंध में सरकार को प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इस संबंध में दोषी कंपनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का इस तरह के विज्ञापनों पर अंकुश लगाने के लिए विधिक/सलाहकार रूपरेखा को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संसबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): आयुष मंत्रालय वर्ष 2018 से आयुष औषधियों के लिए औषधि सतर्कता (फार्माकोविजिलेंस) कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य संदिग्ध प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रियाओं की निगरानी, रिपोर्टिंग एवं मूल्यांकन के माध्यम से आयुष औषधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा उनके सुरक्षित एवं विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम आयुष औषधियों से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों की भी निगरानी करता है, ताकि झूठे एवं अतिरंजित दावों पर रोक लगाई जा सके तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। वर्ष 2021 में इस कार्यक्रम को आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। पिछले तीन वर्षों के दौरान आयुष औषधियों से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में आयुष मंत्रालय को आयुष औषधियों हेतु औषधिय सतर्कता कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या का विवरण **संलग्नक-1** में है।

इसके अतिरिक्त, आयुष मंत्रालय ने वर्ष 2025 में "आयुष सुरक्षा" नामक एक सूचना प्रौद्योगिकी-सक्षम ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य भ्रामक विज्ञापनों (एमएलए), आपत्तिजनक विज्ञापनों (ओए) तथा प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रियाओं (एडीआर) की रिपोर्टिंग एवं उनकी निगरानी करना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आयुष सुरक्षा पोर्टल की

स्थापना से अब तक इस पर दर्ज किए गए आयुष औषधियों से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों तथा उन पर की गई कार्रवाई का विवरण **संलग्नक-2** में है।

(ग) और (घ): औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 की धारा 8 के अनुसार, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिकारियों को अधिसूचित करने का अधिकार प्राप्त है। इस अधिनियम में आयुष औषधियों सहित औषधियों एवं औषधीय पदार्थों से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों तथा अतिरंजित दावों पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान हैं, जो मुद्रित एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में प्रकाशित अथवा प्रसारित होते हैं तथा आयुष मंत्रालय द्वारा समय-समय पर एडवाइजरी जारी की जाती हैं तथा एसएलए को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रभावी प्रवर्तन एवं विनियमन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, भ्रामक/आपत्तिजनक विज्ञापनों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए नियामक एवं परामर्श संबंधी तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) के अंतर्गत संचालित आयुष औषधियों हेतु औषधिय सतर्कता कार्यक्रम देशभर में स्थापित एक राष्ट्रीय औषधि सतर्कता समन्वय केंद्र (एनपीवीसीसी), पाँच मध्यवर्ती औषधि सतर्कता केंद्र (आईपीवीसी) तथा 97 परिधीय औषधि सतर्कता केंद्रों (पीपीवीसी) के त्रि-स्तरीय नेटवर्क के माध्यम से कार्य कर रहा है। आयुष औषधियों तथा उनसे संबंधित आपत्तिजनक/भ्रामक विज्ञापनों के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से औषधि सतर्कता केंद्रों द्वारा आयुष पेशेवरों एवं जनसाधारण के लिए कुल 4,165 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनसे 3,71,477 प्रतिभागी लाभान्वित हुए।

ii. आयुष मंत्रालय ने वर्ष 2025 में "आयुष सुरक्षा" नामक एक सूचना प्रौद्योगिकी-सक्षम ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ किया है, जिसका उद्देश्य भ्रामक विज्ञापनों (एमएलए), आपत्तिजनक विज्ञापनों (ओए) तथा प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रियाओं (एडीआर) की रिपोर्टिंग एवं निगरानी करना है।

iii. आयुष मंत्रालय ने 08.10.2024 एवं 24.08.2025 को सार्वजनिक सूचना जारी कर जनसाधारण को आयुष औषधियों/दवाओं से संबंधित तथ्यों से अवगत कराया तथा उनसे भ्रामक विज्ञापनों के प्रभाव में न आने का आग्रह किया, इस सार्वजनिक सूचना को हिंदी, अंग्रेज़ी तथा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में देशभर के 100 प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया गया।

iv. इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय औषधि सतर्कता समन्वय केंद्र के समन्वयक को नोडल अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया है। यह नोडल अधिकारी, औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग अधिनियम, 2020 तथा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 के अंतर्गत होने वाले अवैध कृत्यों के संबंध में, मध्यस्थ के नियंत्रणाधीन अथवा उससे संबद्ध कंप्यूटर संसाधनों पर उपलब्ध किसी सूचना, डेटा अथवा संचार लिंक के संबंध में मध्यस्थों को नोटिस जारी करने के उद्देश्य से अधिकृत है।

v. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के होम्योपैथी नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड (बीईआरएच) द्वारा होम्योपैथी के संबंध में असत्य, भ्रामक अथवा अप्रमाणित जानकारी के प्रसार पर रोक लगाने के उद्देश्य से कई परिपत्र एवं एडवाइजरी जारी की गई हैं।

संलग्नक - 1

क्रम सं.	वर्ष	प्राप्त भ्रामक विज्ञापनों की संख्या
1.	2023	7771
2.	2024	10161
3.	2025	16129
	कुल	**34061**

संलग्नक-2

क्रम. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयुष सुरक्षा पोर्टल के माध्यम से प्राप्त भ्रामक विज्ञापनों की संख्या	उन पर की गई कार्रवाई
1	मध्य प्रदेश	1115	661
2	ओडिशा	447	447
3	केरल	152	152
4	त्रिपुरा	70	68
5	दिल्ली	459	459
6	तमिलनाडु	3,079	3,079
7	उत्तराखंड	300	300
8	उत्तर प्रदेश	44	44
9	मेघालय	शून्य	-
10	गोवा	शून्य	-
11	हरियाणा	शून्य	-
12	मणिपुर	शून्य	-